

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दुरभाष- 05462-260403,

ई-मेंल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 249/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-12.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 12.07.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- कप्तानगंजः चोरी के वाहन के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 12.07.2025 को वादी मुकदमा विवेकानन्द सिंह पुत्र रमेशचन्द्र सिंह निवासी ग्राम चेवता थाना कप्तानगंज आजमगढ़ ने थाना कप्तानगंज पर लिखित तहरीर दी कि 11.07.2025 को सायं 07 बजे अपनी बाईक से जिसका न0 UP50 BJ 1549 से अपने खेत पर धान की रोपाई के लिए ट्युवेल पर गया था वहाँ से लगभग 30 मिनट बाद वापस सडक पर पहुँचा तो देखा की उसकी बाईक गायब थी घर परिवार को मोटर साईकिल चोरी की सूचना दिया जिस पर उसके घर परिवार व पडोस के लोग तुरन्त खोज बीन करना शुरू किये तो एक व्यक्ति कृपाल गुप्ता की दुकान के बगल मे खाली खेत जहाँ झांडी है वहाँ पर मोटर साईकिल छिपाते हुए दिखा कि सभी लोगो ने मोटर साईकिल व दिख रहे व्यक्ति को पकड़ने के लिये आगे बढ़े तो वह मोटर साईकिल को छोड़कर भागने लगा कि घर परिवार व गांव के लोगो ने मिलकर उस व्यक्ति को कुछ ही दूरी पर पकड़ लिये आवेदक द्वारा नामजद तहरीर दिया गया, थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 202/2025 धारा- 303(2)/317(2)/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 अमन तिवारी द्वारा की जा रही है व मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त अतुल सिंह S/O स्व0 नागेन्द्र सिंह ग्रा0 चेवता थाना कप्तानगंज के विरूद्ध धारा 303(2)/317(2) /351(3)/352 बीएनएस में प्रचलित है। तथा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए रवाना किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 12.07.2025 को उ0िन0 विद्याशंकर पाण्डिय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त अतुल सिंह पुत्र स्व0 नागेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चेवता थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को चोरी के वाहन के साथ ग्राम चेवता से समय करीब रात्रि 02.49 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1. अतुल सिंह पुत्र स्व0 नागेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चेवता थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 42 वर्ष आपराधिक इतिहास-
- 1- मु0अ0सं0- 202/2025 धारा- 303(2)/317(2) /351(3)/352 बीएनएस

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 विद्याशंकर पाण्डेय मय हमराह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़



02.थाना- जीयनपुर: चोरी के मोटर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास -

दिनांक 11.07.2025 को शशांक यादव पुत्र प्रेमचन्द यादव निवासी गड़ेरुआ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह भाई गौरव यादव पुत्र प्रेमचन्द यादव निवासी गड़ेरुआ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ मो0नं0 9451330050 मय एक नफर अभियुक्त अभिषेक शर्मा पुत्र अंगद शर्मा ग्रा0 महरौली पो0 पिहार थाना रौनापार आजमगढ़ मय चोरी के एक अदद मोटर के उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी 1. अभिषेक शर्मा पुत्र अंगद शर्मा ग्रा0 महरौली पो0 पिहार थाना रौनापार आजमगढ़ 2. अमन साहनी पुत्र रोहित साहनी निवासी ग्रा0 बरहपुर पो0 गडेरुआ थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा के ट्यूबेल से मोटर चुरा लिया गया था मौके से वादी मुकदमा मय हमराह खुद के भाई गौरव यादव द्वारा अभियुक्त अभिषेक शर्मा पुत्र अंगद शर्मा निवासी महरौली को अपने साथ पकड़कर लेकर थाना उपस्थित आये है आवेदक के लिखित प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 269/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS बनाम 1. अभिषेक शर्मा पुत्र अंगद शर्मा ग्रा0 महरौली पो0 पिहार थाना रौनापार आजमगढ़ 2. अमन साहनी पुत्र रोहित साहनी निवासी ग्रा0 बरहपुर पो0 गडेरुआ थाना जीयनपुर आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना 30नि0 जाफर खान चौकी प्रभारी लाटघाट द्वारा सम्पादित की जा रही है।

दिनांक 11.07.2025 को उ0िन0 जाफर खान मय हमराह मय आम जनमानस के सहयोग से मु0अ0सं0 269/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक शर्मा पुत्र अंगद शर्मा ग्रा0 महरौली पो0 पिहार थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को वहद ग्राम वादी मुकदमा का खेत ग्राम गड़ेरूआ के पास से नियमानुसार दिनांक 11.07.2025 को समय करीब 12.45 बजे रात्रि अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोटर बरामद किया गया तथा अभियुक्त को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

1- अभिषेक शर्मा पुत्र अंगद शर्मा ग्रा0 महरौली पो0 पिहार थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष बरामदगी का विवरणः एक अदद मोटर बरामद।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 269/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1. हे0का0क्राईम सत्यराम प्रजापति थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 2. का0मु0 रंजित मद्धेशिया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 3. आम जनमानस के शशांक यादव पुत्र प्रेमचन्द यादव निवासी गड़ेरुआ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 4. आम जनमानस के गौरव यादव पुत्र प्रेमचन्द यादव निवासी गड़ेरूआ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़



03.थाना – जीयनपुरः गैर-इरादत्तन हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार। पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 10.07.2025 को आवेदक गनपत राजभर पुत्र बिरजू राजभर ग्राम साल्हेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ की पुत्री घर से बाहर रात्रि समय करीब 9.00 बजे वर्तन धो रही थी उसी समय विपक्षी अनुज राजभर आवेदक की पुत्री के साथ छेड़खानी की गयी, आवेदक की पुत्री चिल्लाने लगी तो वह भाग गया आवेदक ने अपने घर अनुज राजभर को बुलाया और दो थप्पड मारा कि ऐसा तुमने क्यो किया उसी बात पर नाराज होकर गांव के पड़ोसी त्रिपुरारी राजभर पुत्र बालिकशुन, अनुज राजभर पुत्र बालिकशुन, कल्लू राजभर पुत्र बालिकशुन, रूदी देवी पत्नी बालिकशुन, जशवन्ती राजभर पुत्री बालिकशुन नि0गण ग्राम साल्हेपुर थाना जीयनपुर जपनद आजमगढ आवेदक के घर में घुसकर लाठी डण्डा ईट पत्थर से गाली देते हुए आवेदक की पत्नी व पिता बिरजू राजभर व माँ कलावती देवी एवं आवेदक को मारने लगे। आवेदक के पिता को गम्भीर चोट आ गयी जिन्हें ईलाज के लिए प्राईवेट डाक्टर छपरा सुल्तानपुर ले गये दवा इलाज कराया गया आवेदक अपने पिता को ईलाज के बाद लेकर घर चले आये पिता को गम्भीर चोट लगने के कारण घर पर ही लगभग 3.00 बजे भोर में आवेदक के पिता की मृत्यु हो गयी प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 267/2025 धारा 3(5)/74/333/115(2)/352/125/105 BNS बनाम 1. त्रिपुरारी राजभर पुत्र बालिकशुन 2. अनुज राजभर पुत्र बालिकशुन 3. कल्लू राजभर पुत्र बालिकशुन 4. रूदी देवी पत्नी बालिकशुन 5 जशवन्ती राजभर पुत्र बालिकशुन नि0गण ग्राम साल्हेपुर थाना जीयनपुर जपनद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 रतन सिंह पटेल चौकी प्रभारी ईमिलिया द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 12.07.2025 को 30नि0 रतन सिंह पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. त्रिपुरारी राजभर पुत्र स्व0 बालिकशुन नि0 ग्राम साल्हेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 22 वर्ष 2. अनुज राजभर पुत्र स्व0 बालिकशुन नि0 ग्राम साल्हेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 18 वर्ष को शेखमौली करतारपुर पंचायत भवन के पास रोड के किनारे से समय करीब 07.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक अदद आलाकत्ल डण्डा बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1. त्रिपुरारी राजभर पुत्र स्व0 बालिकशुन नि0 ग्राम साल्हेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 22 वर्ष
- 2. अनुज राजभर पुत्र स्व0 बालिकशुन नि0 ग्राम साल्हेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 18 वर्ष बरामदगी का विवरण:- अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक अदद डण्डा बरामद

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 267/2025 धारा 3(5)/74/333/115(2)/352/125/105 BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1. उ0नि0 रतन सिंह पटेल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 2. का0 सत्यप्रकाश सरोज थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 3. का0 ज्ञानेन्द्र गुप्ता थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 4 का0 अर्जून प्रसाद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 5. का0 रानू सैनी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़



<u>04. थाना- सिधारीः शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।</u> पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 30.06.2025 को वादी मुकदमा ने थाना सिधारी पर लिखित तहरीर दी कि प्रतिवादी गण द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को शादी का झांसा देकर भगा ले जाना तथा प्रतिवादी के घर पूछने जाने पर वादी को गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना व जाँच से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 87/137(2)/115(2)/352/351(3) भादिव बनाम 1. विशाल गौंड पुत्र सुदर्शन गौंड़ 2.सुदर्शन पुत्र अज्ञात 3. बरसाती देवी पत्नी सुदर्शन गोंड निवासीगण जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना म030नि0 निर्मला द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक 12.07.2025 को म030नि0 निर्मला मय हमराह द्वारा रेलवे क्रासिंग मूसेपुर के पास से मुकदमा उक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल गौड़ पुत्र सुदर्शन गौड़ सािकन जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को समय 10.45 बजे मुखबिर के सूचना पर हिरासत पुलिस में किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1-विशाल गौड़ पुत्र सुदर्शन गौड़ साकिन जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 87/137(2)/115(2)/352/351(3) भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. म0उ0नि0 निर्मला थाना सिधारी आजमगढ़
- 2. कां0 बृजमोहन थाना सिधारी आजमगढ़

